तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम या हुक्म की जो में जारी
	वि० ल० सं० 16 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामचन्द्र बनाम/प्र अपील संख्या	
21/6/18	पक्षकार परिवार के मध्य अभिभावक अधिनियम के तहत उनके पक्ष के अभिभावक को सुना गया, एवं उभय पक्षकारान। अभिभावकगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन करने में कोई आपत्ति न होना न्यायालय को अवगत कराया गया। प्रकरण के वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने हेतु सहमत है अतः प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सं० 1655/0.22, 1656/0.18, 1657/0.22 किता 3 रकबा 0.62 व आ० सं० 1654/0.40 वाले रकबा गजट के अच्छे भाग अच्छा व बुरे में से बराबर के बुरे। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु न्यायालय आदेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज कर डिक्री प्रारम्भिक किया जाकर एवं उसी तरह से प्रारम्भिक डिक्री तैयार की जाकर पत्रावली वाहे विभाजन प्रस्ताव। बुरे रिपोर्ट हेतु दिनांक 12-7-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नगर भरतपुर
12-7-18	पीठासीन अधिकारी महोदय, भ्रमण/अवकाश पर हैं। अतः 31-7-18 को पेश हो।	
31/7/18	पक्षकारान परिवार के मध्य उपस्थित प्रकरण में तहसीलदार नगर से बुरे रिपोर्ट प्राप्त हुई इस रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं उभय अभिभावकगण को बुरे रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया। उभय अभिभावकगण के कथन इस रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की। अतः मुताबिक इस रिपोर्ट फाइनल डिक्री पारित की जाती है। फिरहाल विभाजन प्रकरण में लिखित जवाब व अग्रिम पत्रावली किया जाया पत्रावली मिसल कमरा तैयार हो।	